**छत्तीसगढ़ विद्युत कर्मचारी संघ-फेडरेशन**

मुख्यालय - कोरबा (छत्तीसगढ़)


कार्यालय : श्रम शक्ति भवन, विद्युत मंडल कालोनी, कोरबा (पूर्व) 495677, दूरभाष : नि. : (07759) 244008 मोबाइल : 94252-24109

क्रमांक : छ.वि.कर्म.सं./फेडरेशन/.....54/15

दिनांक : 31/12/2015

प्रति,

जनसूचना अधिकारी  
कार्यालय:कार्यपालक अभियंता (वित्त एवं लेखा)  
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित,  
रायपुर (छ.ग.)



विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत जानकारी देने बाबत।

महोदय,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत निम्न जानकारी प्रदान करें:-

01. विद्युत कंपनी से सितंबर-2015 पश्चात सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ जैसे:-पेंशन सारांशीकरण एवं अवकाश नगदीकरण भुगतान राशि से आयकर कटौती जिस आदेश/नियम के अंतर्गत की जा रही है। उक्त की सत्यापित छायाप्रति प्रदान करें।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उक्त हेतु प्रारंभिक शुल्क रु.10/- (दस रुपये)  
का पोस्टल आर्डर क्रमांक संलग्न है।

संलग्न:-पोस्टल आर्डर।

No- 26 F 193668

भवदीय  
(आर.सी.चेट्टी)  
महामंत्री

JR (6)  
8/1/16

KR (6)  
for compliance  
DR

SLDC
Addl.C.E.
SE(MO)...
SE(SO)...
SE(O).....
SE(OA)....
SE(RA)....
SE(U)....
SE(E&M)
SE(MEA)
SE(OPN)
COMFRAN

**CHHATTISGARH STATE POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED**

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित

(C.G. Govt. Undertaking) (छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

**STATE LOAD DESPATCH CENTRE: RAIPUR**

छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र, रायपुर

दूरभाष PHONE: 0771-2574172, फैक्स FAX NO. 0771-2574174.

Web Site: [sldecg.gov.in](http://sldecg.gov.in)

[email-csebsldc@gmail.com](mailto:email-csebsldc@gmail.com)

क्रमांक : 03-02/RTI/ 1362  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 11 JAN 2016

श्री आर.सी.चेट्टी  
महामंत्री  
छत्तीसगढ़ विद्युत कर्मचारी संघ-फेडरेशन  
मुख्यालय-कोरबा (छत्तीसगढ़)  
कार्या. श्रम शक्ति भवन, विद्युत मंडल कालोनी,  
कोरबा(पूर्व) 495677

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम-2005, के अंतर्गत जानकारी देने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक छ.ग.कर्म.सं./फेडरेशन/54/15, दिनांक 31.12.2015

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि विद्युत कंपनी से सितंबर -2015 पश्चात सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन) सारांशीकरण एवं अवकाश नगदीकरण भुगतान राशि से आयकर कटौती की जानकारी इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।

अतः तत् संबंधित जानकारी प्रबंधक क्षेत्रीय लेखा ईकाई (मुख्यालय), छ.रा.वि.पारे.कं. मर्या. रायपुर से प्राप्त किया जा सकता है।



(डी.के.खिचरिया)

जनसूचना अधिकारी

कार्या. मुख्य अभियंता (भार प्रेषण)

छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या., रायपुर

